

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,  
सहकारिता,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ

देहरादून: दिनांक: 12 जुलाई, 2018

विषय: सहकारिता विभाग के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी बैंकों/शीर्ष सहकारी संस्थाओं/सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा हेतु आडिट फर्म/चार्टर्ड एकाउन्टेंट के सूचीबद्धीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, संविधान के सत्तानवेवां संशोधन अधिनियम के क्रम में राज्य सहकारी बैंक, शीर्ष सहकारी समितियों, सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों की लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2017-18 के लिए वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या: 74/xxvii(54)/2017 दिनांक: 30 मई, 2017 जुलाई, 2016 के द्वारा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी बैंकों/शीर्ष सहकारी संस्थाओं/सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा हेतु 21 सी0ए0 फर्म को वर्ष 2017-18 के लिये सूचीबद्ध किया गया था।

2. सीए फर्मों द्वारा विगत वर्ष में की गयी लेखा परीक्षा का सहकारिता विभाग द्वारा मूल्यांकन किये जाने हेतु निबन्धक सहकारिता विभाग के पत्र संख्या: 1621/ऑडिट/2018-19 दिनांक: 08 जून, 2018 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि "कार्यालय के आदेश सं0-320 दिनांक: 24.04.2018के द्वारा शासनादेश सं0-74 दिनांक : 30.05.2017 के क्रम में सी0ए0 फर्मों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की गुणवत्ता के आंकलन हेतु विभाग द्वारा जनपद स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया है। उक्त कमेटियों से कृत कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रकरण में शासन के निर्देशों के क्रम में कार्यालय के पत्रांक-P-827-30 दिनांक: 15.05.2018 व P-1008-03 दिनांक: 23.05.2018 द्वारा वांछित प्रारूप पर सूचना व जनपद स्तर पर इस सम्बन्ध में गठित की गई लेखा परीक्षा के कार्यों के सम्बन्ध में संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। किसी भी जनपद की ऑडिट फर्म के सम्बन्ध में प्रतिकूल टिप्पणी संस्तुति प्राप्त नहीं हुई।"

इस क्रम में सी0ए0 फर्म को वर्ष 2018-19 हेतु सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सी0ए0 के सूचीबद्धीकरण हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ सूचीबद्ध किया जायेगा, कि निबन्धक सहकारिता

विभाग के पत्र संख्या: 1621/ऑडिट/2018-19 दिनांक: 08 जून, 2018 के अनुसार लेखा परीक्षा गुणवत्ता के आंकलन हेतु विभाग द्वारा गठित कमेटियों की संस्तुति प्राप्त होने के उपरांत ही लेखा परीक्षा फर्म को लेखा परीक्षा का कार्य आवंटित किया जायेगा।”

3. सहकारिता विभाग की संस्तुति के क्रम में विगत वर्ष में सूचीबद्ध निम्नलिखित फर्मों को EOI (संलग्नक-1) के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष (2018-19) के लिये सूचीबद्धीकरण का विस्तारीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

Sr. No.	Name of CA Firm
1.	Anshul Agarwal & Co.
2.	Praveen K. Gupta & Co.
3.	Multi Associates
4.	K.k Channai & Associates
5.	K.K Goyal Associates
6.	Roy Gosh & co.
7.	PS Sethi & Co.
8.	Pramod K. Sharma & Co.
9.	KRA & Co.
10.	KASG Associates
11.	Bran & Associates
12.	Burnman Singh & Associates
13.	Goyal Parul & Co.
14.	Naveen Upadhyaya & Associates
15.	Parmod Banwarilal Agarwal & Co.
16.	Singh Agarwal & Associates
17.	Chandiwala Virmani & Associates
18.	PK Singhal & Co.
19.	ASHM & Associates
20.	Parry & Co.
21.	Kapoor Bushan & Co.

4 . सी0ए0 फर्मों को वित्त विभाग द्वारा एक वर्ष के लिये निम्नलिखित शर्तों के अनुसार विस्तारीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। सहकारिता विभाग एवं सीए फर्मों के द्वारा अपने स्तर से ईओआई की शर्तें एवं निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

क. EOI के बिन्दु संख्या: 9 के अनुसार सी0ए0 फर्मों को **Category wise** ही जिलों का आवंटन सहकारिता विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक जिले में दो-तीन सी0ए0 फर्मों का पैनल का गठन किया जायेगा। जिस प्रकार से पूर्व वर्ष में वित्त विभाग द्वारा किया गया था। (EOI संलग्नक-1)



- ख. सूचीबद्ध सी0ए0 फर्मों की दो-तीन दिवसीय कार्यशाला, जिसमें इन सी0ए0 फर्मों को राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर वित्त, सहकारिता विभाग, नाबार्ड, आडिट निदेशालय के अधिकारियों से मार्गदर्शन के उपरांत लेखे आवंटित किये जायेंगे।
- ग. सी0ए0 फर्मों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की गुणवत्ता के आंकलन हेतु सहकारिता विभाग के अधिकारियों की एक कमेटी बनायी जायेगी। कमेटी द्वारा सीए फर्मों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत होने के उपरांत एक माह में आंकलन करते हुये बिलों का भुगतान किये जाने की संस्तुति सुनिश्चित करेंगे।
- घ. सहकारिता विभाग द्वारा निदेशालय स्तर पर प्रत्येक त्रैमास पर सी0ए0 फर्मों के साथ समीक्षा बैठक की जायेगी, जिससे फर्मों पर प्रभावी नियंत्रण रहे। बैठक का कार्यवृत्त वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जायेगा।
- ङ. सी0ए0 फर्मों द्वारा सूचीबद्धीकरण के विस्तारीकरण एवं ई0ओ0आई0 के प्रावधानों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किसी भी सी0ए0 फर्म द्वारा शासनादेश एवं ई0ओ0आई के प्रावधानों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है, तो तत्काल उस सी0ए0 फर्म को सूचीबद्धीकरण की सूची से हटाते हुए उन्हें वित्त विभाग के अन्तर्गत समस्त लेखा परीक्षा कार्यों हेतु **black list** कर दिया जायेगा। शासनादेश के प्रावधानों के अनुपालन में किसी भी प्रकार का अपवाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- च. सहकारिता विभाग द्वारा सी0ए0 फर्मों के प्रभावी नियंत्रण हेतु एवं जिलों में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय हेतु सहकारिता विभाग द्वारा स्वयं से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
- छ. सी0ए0 फर्मों द्वारा राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों की लेखापरीक्षा हेतु **Guidance Note on Audit of State Co-operative Bank and District Central Co-operative Banks by Institute of Chartered Accountant of India (संलग्नक-2)** विभिन्न Declaration, लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ **LFAR (Long Form of Audit Report)**, एवं **Audit Classification of SCB's and DCCB's**, एवं **Audit Manual of PACS (संलग्नक-3)** के अनुसार लेखा परीक्षा की जायेगी। लेखा परीक्षा रिपोर्ट आपत्तियों को स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा।
- ज. सी0ए0 फर्मों द्वारा लेखा परीक्षा दल/टीम का **पूर्ण विवरण (फोटो सहित) मो0 न0 एवं ई-मेल आईडी** सहकारिता विभाग, सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग, निदेशालय लेखा परीक्षा, वित्त आडिट प्रकोष्ठ तथा संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। सी0ए0 फर्मों द्वारा आ0एफ0पी0 के अनुसार लेखा परीक्षा दल में कम से कम एक एफ0सी0ए0/ए0सी0ए0 लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।
- झ. सहकारिता विभाग द्वारा प्रत्येक माह वित्त आडिट प्रकोष्ठ को **(संलग्नक-4)** के अनुसार सी0ए0 फर्मों द्वारा किये गये लेखा परीक्षा कार्यों के बारे में ई-मेल([ukauditcell@gmail.com](mailto:ukauditcell@gmail.com)) द्वारा अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। लेखा परीक्षा कार्ययोजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में पत्र तथा ई-मेल के द्वारा वित्त आडिट प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायी जायेगी।

प. सहकारिता विभाग एवं वित्त विभाग में इस संबंध में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक, शीर्ष सहकारी समितियों, सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों की लेखा परीक्षा के समन्वय हेतु सहकारिता विभाग से नोडल अधिकारी नामित किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त समस्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सी0ए0 फर्मों एवं सहकारिता विभाग द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव, वित्त।

पत्र सं०- //३ /xxvii(54) / 2018 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, लेखा परीक्षा, आयुक्त कर भवन, रिंग रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. निबन्धक, सहकारी समितियां, अल्मोडा।
4. निदेशक, मत्स्य, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि०, हल्द्वानी।
6. समस्त सचिव, जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कोपरेटिव रेशम लि०, देहरादून।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन, देहरादून।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन, देहरादून।
11. निबन्धक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उद्यान विभाग।
12. सम्बन्धित सी०ए० फर्म।

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव, वित्त।